GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

NO.E(P&A)I-87/PS-5/PE-9 New Delhi, Dated: 8-3-1990.

The General Manager,
Eastern Railway,
Calcutta.

Subject: Revision of qualifications of Teachers in Railway schools.

****

In the context of Board's letter of even number dated 4-10-89 and with reference to the queries raised in your letter No. E1001/0/S/Pt.III dated 26-12-89, the position is clarified as under:-

Points raised for clarification	Clarification
1. What will be the qualification equivalent to JBT (1 year/2 years)?	Training qualification, if any, named different from JBT, but recognised as equivalent to JBT by any of the State Govts. may be considered equivalent to JBT (1 year/2 years).
2. Whether candidates having the qualification Hr. Sec. (XI) with JBT(1 year) can be considered for the post of Primary Teacher?	Candidates who are not in possession of the qualifications prescribed in this office letter of even number dated 4-10-89 cannot be considered for the post of Primary Teacher.
3. It is presumed that candidates should have the competence to teach through the respective medium.	The presumption is confirmed.
4. For the post of TGT, II class Bachelor's degree is required, but in some universities there is no demarcation of Class; whether 45% marks can be considered equivalent in such cases.	Where there is no demarcation of Class in the Bachelor's Degree, 45% marks can be considered equivalent to II Class Bachelor's degree.

.....2/-

5. Whether any relaxation can be given in the training qualifications to the existing Primary teachers and TGTs.	Since a training qualification is a must for a teacher, no relaxation can be given.
6. It is presumed that the revised qualifications for TGT and PGT will be applicable to Headmasters of Primary/Middle schools in terms of Board's letter dt. 11-4-88.	The presumption is confirmed.
7. Whether the qualifications- 'Sahitya Ratna', 'Shastri', 'Sahityalankar' can be considered equivalent to B.A. Degree for promotion from Primary Teachers to TGTs.	The matter is under examination and a decision when arrived at will be communicated.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A).

Encl.: Nil.

No. E(P&A)I-87/PS-5/PE-9 New Delhi, Dated: 8-3-1990.

Copy to the General Managers, All Indian Railways including CLW, DLW, ICF, RCF and Director General, RDSO for information and guidance.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(पी एन्ड ए)।-87/पी एस-5/पी ई-1 नयी दिल्ली, दि0 8.3.90

महाप्रबन्धक,
पूर्व रेलवे,
कलकत्ता ।

विषय: रेलवे विद्यालयों में अध्यापकों के लिए अर्हताओं की पुनरीक्षा ।

x——————x

बोर्ड के दिनांक 4.10.89 के समसंख्यक पत्र तथा आपके दिनांक 26.12.89 के पत्र सं0 ई.1001/0/एस/पार्ट III में उठाये गये प्रश्नों के संदर्भ में स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है:-

स्पष्टीकरण के लिए उठाये गये मुद्दे ।	स्पष्टीकरण
1. जे. बी. टी. (1 वर्ष/2वर्ष) के समकक्ष अर्हता क्या होगी ?	प्रशिक्षण अर्हता यदि कोई है, जे. बी. टी. से भिन्न नाम दिया गया है, लेकिन जे. बी. टी. के समकक्ष किसी भी राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण अर्हता को जे. बी. टी. (1 वर्ष/2 वर्ष) के समकक्ष माना जाये ।
2. क्या प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए जे. बी. टी. (1 वर्ष) के साथ उच्चतर माध्यमिक(x।) की अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के संबंध में विचार किया जा सकता है ?	जिन उम्मीदवारों के पास इस कार्यालय के दिनांक 4.10.89 के समसंख्यक पत्र में निर्धारित अर्हतायें नहीं हैं, प्राथमिक अध्यापक पद के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता ।

...................2/-

3. यह माना गया है कि उम्मीदवारों में अलग विभिन्न माध्यम से अध्यापन की सक्षमता होनी चाहिए ।

इस प्रकल्पना को पुष्टि पर ली गई है ।

4. टी॰ जी॰ टी॰ पद के लिए द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री होना अपेक्षित है परन्तु कुछ विश्वविद्यालयों में श्रेणी का सीमांकन नहीं किया जाता, क्या ऐसे मामलों में 45% अंक समकक्ष समझे जायेंगे ?

जहाँ स्नातक की डिग्री में श्रेणी का सीमांकन नहीं किया जाता, 45% अंक द्वितीय श्रेणी की डिग्री के समतुल्य समझे जायेंगे ।

5. क्या मौजूदा प्राथमिक अध्यापकों तथा टी॰ जी॰ टी॰ को प्रशिक्षण अर्हताओं में कोई छूट दी जा सकती है ?

चूंकि अध्यापक के लिये प्रशिक्षण की अर्हता अत्यंत आवश्यक है, अतः इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती है ।

6. बोर्ड के दिनांक 11.4.88 के पत्र की शर्तों के अनुसार यह माना गया है कि टी॰ जी॰ टी॰ तथा पी॰ जी॰ टी॰ के लिए परिशोधित अर्हतायें प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के मुख्याध्यापकों के लिए भी लागू होंगी ।

इस प्रकल्पना को पुष्टि कर ली गई है ।

7. क्या प्राथमिक अध्यापकों से टी॰ जी॰ टी॰ में पदोन्नति के लिए "साहित्य रत्न", "शास्त्री", "साहित्यलंकार" की अर्हतायें स्नातक की डिग्री के समकक्ष समझी जायेंगी ।

मामला विचाराधीन है तथा निर्णय होने पर सूचित किया जायेगा ।

(ए॰ सी॰ बक्शी)
संयुक्त निदेशक-स्था0(वेतन एवं भत्ता)

संलग्न: कुछ नहीं ।

.....3/-

सं0 ई(पी एन्ड ए)I-89/पी एस-5/पी ई-1 नयी दिल्ली, दि0 8.3.1990

प्रतिलिप:-

महाप्रबन्धक, सभी भारतीय रेलें, चि0 रे0 का0, डी0 रे0 का0, स0 डि0 का0, रे0 को0 फै0 तथा महानिदेशक अ0 अ0 मा0 सं0, को सूचना एवं मार्ग निदेशन के लिए प्रेषित ।

(ए. सी. बक्शी)

संयुक्त निदेशक, स्थापना(पी एवं ए)